20/6/2022 जमाबंदी पेशगी। वकील उपस्थित अभिभाषक। जमाबंदी प्रकरण धारा 88 राज. लगान अधिनियम 1956 अंतर्गत पेश। 88/प्रकरण धारा 87 RLR अधिनियम 1956 के प्रावधानों अनुसार विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) की श्रेणी में आता है अतः प्रतिवादी सम्पत्ति 01/2006 द्वारा मुख्य प्रार्थना धारा 87 RLR 1956 का संज्ञान लेते वाद संख्या 32/2019 अंतर्गत घोषणा, स्थायी व स्थाई निषेधाज्ञा विपक्ष अभिभाषकों विद्युत बिलों भुगतान के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा। मुताबिक मिलि अंतरिम राहत जारी की जाती। जमाबंदी अपील डिक्री द्वारा पेश हुआ द्वारा दायर किया। अपील संख्या 20/061 पर को तुल्य व्यवस्था के लिए आज।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.13 16:24:33 IST
Reason: SelfAttested